



पंजीकृत कार्यालय: यसा बैंक टावर, आईएफसी-2, 15वीं मंजिल, सेनापति बापट मार्ग, एलफिस्टन (डब्ल्यू), मुम्बई-400013
कॉर्पोरेट कार्यालय: नेहरु सेंटर, 9वीं मंजिल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डॉ. ए. बी. रोड वर्ली मुम्बई 400018, दूरभाष: +91 (22) 6669 9000, फैक्स: +91 (22) 2490 0314 CIN : L65190MH2003PLC143249, ईमेल: communications@yesbank.in, वेबसाइट www.yesbank.in

ई-नीलामी विक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (जिसे यहां बाद में नियम कहा गया है) से संबंधित सरफेसी अधिनियम, 2002 (जिसे यहां बाद में अधिनियम के रूप में कहा गया है) के अधीन विक्री सूचना। ऊपर उल्लिखित अधिनियम की धारा 13(2) तथा 13(4) के अनुपालन के अनुसार यसा बैंक लि. की ओर से बैंक के अधिकृत अधिकारी द्वारा यहां नीचे उल्लिखित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया गया है।

चूंकि, बैंक के अधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम के नियम 8 एवं 9 के अधीन यहां नीचे उल्लिखित सम्पत्ति को "जैसे है जहा है" तथा "जैसे है जो कुछ है" के आधार पर बिना किसी सहारे के सार्वजनिक नीलामी (ई-नीलामी) द्वारा विक्री करने का निर्णय लिया है।

कर्जदार/गारंटीदाता/ जमानत प्रदान करने वाले का नाम	सम्पत्ति का विवरण	कब्जा की तारीख	मांग सूचना की तारीख	बोली जमा की अंतिम तारीख	ई-नीलामी की तारीख एवं समय	आरक्षित मूल्य (₹.)	बयाना राशि जमा(₹.)	1 नवम्बर, 2018 को बकाया राशि
1. मैसर्स अग्रवाल फूड इंडस्ट्रीज, अपने स्वामित्वकारी श्री राम कुमार गियोडा रोड, कैथल-136027 हरियाणा ("कर्जदार") 2. श्री राम कुमार पिता श्री तारा चंद, मकान नं. 229/25, शोहरा कोठी, जिन रोड, वार्ड नं. 25, कैथल और एक पत्ता: द्वारा मैसर्स अग्रवाल फूड इंडस्ट्रीज, गियोडा रोड, कैथल और एक पत्ता: शेवट नं. 12/24, मिन किन्हे 15, एगसी सीमा के अंदर, पट्टी गदर, कैथल-136027 हरियाणा ("गिरवीदाता व गारंटीदाता") 3. श्री सची गर्ग पिता श्री राम कुमार, 60/15, जिन रोड, शोहरा कोठी, जखोली अड्डा, कैथल-136027 हरियाणा (गारंटीदाता)	पट्टी गदर (नगर पालिका के अंदर), कैथल-136027 हरियाणा में स्थित शेवट नं. 12/24 मिन किन्हे 15, रकबा 49 कनाल 19 मरला 26/999 हिस्सा यानी 26 मरला सम्मिलित सम्पत्ति परिमाण 1 कनाल 6 मरला सम्पत्ति का प्लॉट चौहद्दी : पूर्व: जागीर सिंह का प्लॉट, पश्चिम: नरेश पुनिया (ट्रैक्टर एजेंसी) की सम्पत्ति, उत्तर: जिन रोड बाईपास, दक्षिण: मालिक का प्लॉट	17-जुलाई-2019	01-नवम्बर-2018	23-सितम्बर-2019	24-सितम्बर 2019 को पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 2.00 बजे तक साथ में ई-नीलामी के बंद के अंतिम 5 मिनट में बोली लगाए जाने पर प्रत्येक बार 5 मिनट का विस्तार	₹. 65,50,000/- (रुपये षेसठ लाख पचास हजार मात्र)	₹. 6,55,000/- (रुपये छह लाख पचपन हजार मात्र)	₹. 97,62,018.57 (रुपये सनतानवे लाख बासठ हजार अठारह एवं षेस सनतावन मात्र)

नियम एवं शर्तें :

- नीलामी विक्री बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्वोरमेंट टेक्नोलॉजिज लि., ऑक्शन टाइगर, अहमदाबाद के माध्यम से ऑनलाइन ई-नीलामी/बोली द्वारा संचालित होगी। सम्पर्क व्यक्ति : श्री तिलक मराठा (मोब) +91 9067799646 (ई-मेल) tllak@auctiontiger.net, श्री विजय शेट्टी (मोब.) + 91 09619002431 (ई-मेल) vijay.shetty@auctiontiger.net, फैक्स नं. 079-40230847 (हेल्प लाइन नं. : 07940230841/844/813/814/815/816/817/818/819/820), वेबसाइट: <https://sarfaesi.auctiontiger.net>
- बोलीदाताओं से अपनी बोलियां जमा करने तथा ई-नीलामी विक्री की प्रक्रिया में भाग लेने से पहले बोली प्रपत्र, निविदा दस्तावेज, नीलामी विक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है।
- बोलियां प्रासंगिक विवरण के साथ निर्धारित प्रारूप में सिर्फ ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए जमा की जानी चाहिए।

ऑनलाइन बोलियां जमा करने से पहले बयाना राशि जमा (ईएमडी) नीचे उल्लिखित खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी/फंड ट्रांसफर के जरिए जमा करना होगा :-

विवरण	
बैंक एवं शाखा का नाम	यसा बैंक लिमिटेड वर्ली
लानमोमी का नाम	यस बैंक लिमिटेड ईएमडी कलेक्शन खाता
खाता नं.	000189900002710
आईएफएससी कोड	YESB0000001

- जमा की जाने वाली बोली की रकम आरक्षित मूल्य से अधिक होनी चाहिए तथा बोलीदातागण बाद में अपने प्रस्ताव रु. 25,000/- के गुणक में सुधार सकते हैं। अधिकृत अधिकारी द्वारा तय किए गए आरक्षित मूल्य से कम कीमत पर सम्पत्ति की विक्री नहीं की जाएगी। आरक्षित मूल्य से कम कोट की गई बोली रद्द कर दी जाएगी एवं जमा की गई ईएमडी जमा कर ली जाएगी।
- सफल बोलीदाता को ई-नीलामी विक्री की प्रक्रिया समाप्त होने के 48 घंटे के अंदर ऊपर निर्धारित प्रारूप में पहले से भुगतान की गई बयाना राशि के साथ क्रय राशि की 25 प्रतिशत रकम का भुगतान करना होगा। क्रय राशि की शेष 75 प्रतिशत रकम का भुगतान बैंक द्वारा विक्री की पुष्टीकरण के 15 दिनों के अंदर अथवा अधिकृत अधिकारी के एकल इच्छानुसार लिखित रूप से तय संबंधित विस्तारित अवधि के अंदर जमा करना होगा, अन्यथा बैंक क्रेता द्वारा पहले से भुगतान की गई रकम जब्त कर ली जाएगी।
- असफल बोलीदाता की ईएमडी राशि ई-नीलामी विक्री प्रक्रिया के समाप्त होने के 3 कार्यकारी दिवस के अंदर वापस कर दी जाएगी।
- विक्री बैंक की पुष्टीकरण पर निर्भर है। बोलीदाता/गारंटीदाता अगर विक्रि की तारीख से पहले बैंक को पूरी बकाया राशि का भुगतान कर देते हैं, तो कोई भी विक्री संचालित नहीं होगी।
- एको के सर्वश्रेष्ठ ध्यान एवं जानकारी के आधार पर गिरवी पर रखी गई सम्पत्ति पर कोई भी ऋण भार नहीं है, हालांकि प्रत्याशित निविदादाताओं को इस संबंध में अपने निजी प्रयास करने की सलाह दी जाती है। एको ऊपर उल्लिखित गिरवी पर रखी गई सम्पत्ति के संबंध में किसी भी तरह के शुल्क, दाय, ऋणभार, सम्पत्ति कर अथवा सरकार अथवा अन्य किसी भी निकाय के पास बकाया राशि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- एको से पूर्व अनुमति प्राप्त कर इच्छुक पार्टियां/निविदादाता ऊपर उल्लिखित सम्पत्ति का निरीक्षण 19 सितम्बर, 2019 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक कर सकते हैं। एको के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा/निविदाओं को (किसी भी सम्पत्ति के लिए) रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
- विक्री के नियमों का अनुपालन करने पर अधिकृत अधिकारी क्रेता के पक्ष में विक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा। स्टैम्प ड्यूटी, पंजीयक शुल्क, व्यय, वैट/जीएसटी इत्यादि से संबंधी सभी व्यय का वहन क्रेता को करना होगा।
- विक्री सरफेसी अधिनियम/नियम 2002 की निर्धारित शर्तों तथा ऊपर उल्लिखित शर्तों पर आधारित है।
- विक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया यस बैंक लि की वेबसाइट यानी www.yesbank.in पर प्रदत्त लिंक <http://10.0.49.5/about-us/media/auction-property> देखें
- और अधिक जानकारी के लिए अधिकृत अधिकारी से 09313440664/022-33477353 पर सम्पर्क करें।

कर्जदार/गारंटीदाताओं के लिए विक्री सूचना

ऊपरोक्त को कर्जदार के लिए इसके प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के अंदर बकाया राशि का भुगतान करने की सूचना समझा जाए।